रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-77/2020/2890/22-2-2019-17(300)/2016

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्धदोष **बन्दी बनवारी लाल (बन्दी संख्या-46236) पुत्र श्री प्यारेलाल, जो-तुर्कीखेडा, थाना-हैदराबाद, जनपद-लखीमपुर खीरी** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-472/1980** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34, 307/34** के अधीन **दिनांक 04.01.1982** को **मा0 सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर** द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी की समयपूर्व रिहाईके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, मेडिकल बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर तथा बन्दी की वृद्धावस्था, काटी गयी सजा, संतोषजनक जेल आचरण, बीमारी के आधार पर दयायाचिका समिति की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं, तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-77/2020/2890(1)/22-2-2019 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
3- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in